उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

संख्या-674/77-6-05-41टैक्स/01

लखनऊ : दिनांक 18 मार्च, 2005

भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के अन्तर्गत राज्य सरकार को दी गयी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल शासनादेश संख्या 3090/77-6-03-41टैक्स/01 दिनांक 06-11-2003 के साथ संलग्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली-2003 को निम्नलिखित प्रकार से संशोधित करते हैं :-

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (संशोधन) नियमावली, 2005

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1(1) यह नियमावली औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन(संशोधन) (प्रथम) नियमावली, 2005 कही जाएगी।

1(2) वह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू होगी।

1(3) यह दिनांक 11.3.03 से 5.11.03 के मध्य की पात्र इकाइयों पर प्रभावी होगी

2. नये नियम 13 का बढ़ाया जाना

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2005 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है के नियम-12 के पश्चात् स्तम्भ-2 में नया नियम-13 बढ़ा दिया जायेगा। अर्थात-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
विद्यमान नियम	एतद्द्वारा बढ़ाया गया नियम
	13- अपवाद- ''नियमावली में किसी अन्यथा प्राविधान के होते हुए भी ऐसी पात्र मेगा इकाईयों जिनकी प्रथम बिक्री की तिथि-11.3.03 से 5.11.03 के बीच हो, जिन्होने नियमावली के प्रस्तर-5 (1) के अनुसार दि0-30.9.04 तक ब्याज मुक्त ऋण हेतु स्तर-5(6) में उल्लिखित प्राधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया हो, की इकाई के वार्षिक विक्रय धन का न्यूनतम 5 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जायेगा तथा ऐसा ऋण व्यापार कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर के रूप में भुगतान की नई धनराशि से सीमित नहीं होगा। नियमावली के प्रस्तर-5(4) के प्राविधान ऐसी इकाईयों के संबंध में लागू नहीं होगे किन्तु नियमावली के अन्य प्राविधान ऐसी इकाईयों पर यथावत प्रभावी रहेगें।''

आज्ञा से,

(रवीन्द्र सिंह)

प्रमुख सचिव,

औद्योगिक विकास विभाग।